

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- /2019

1. दयाराम पुत्र चेताराम } जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला  
2. राजकुमार पुत्र चेताराम } हनुमानगढ़। वादीगण

बनाम्

1. चेताराम पुत्र रुपाराम जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. विमला पत्नी भगवानाराम पुत्री चेताराम जाति जाट निवासी अली मोहम्मद तहसील व जिला सिरसा।
3. समित्रा पत्नी सुभाष } पुत्री चेताराम जाति जाट निवासी केरा खुर्द तहसील  
4. रेशमीदेवी पत्नी रोहिताश } व जिला मानसा। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़ वकील वादीगण मिन जागिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण सं० 1 के नाम से चकनं० 6 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 36/43 में कुल 4.769 है० नहरी मय गै०मु० तथा चकनं० 4 केएचआर के खाता सं० 35/31 में कुल 3.289 है० नहरी, अ०क० आराजी में वादीगण सं० 1 व 2 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उपरोक्त अनुसार वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चकनं० 6 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 36/43 व चकनं० 4 केएचआर के खाता सं० 35/31 में से प्रतिवादीसं० 1 का हिस्सा कम किया जाकर प्रतिवादीसं० 1 का 1/3 हिस्सा बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....  
.....अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29/11/19 को जारी किया गया।



( मीनू वर्मा )

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
टिब्बी